

वन भूमि का औचित्य

परियोजना का नाम :-

विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत देघाट-नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी-कलियालिगुड-झीपा बैण्ड हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।
(2.500किमी.) (1.485है०)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 5150(1)/111(2)/10-18(प्रा.आ.) /2010 दिनांक 16.08.2010 के द्वारा 2.50 किमी. लम्बाई हेतु 31.50 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से लगभग 3 ग्रामसभाओं को आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ मिलेगा तथा जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय सल्ट/मछोड़ के साथ-साथ रेल हैड रामनगर से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस हेतु सिविल बेनाप भूमि 1.485है० वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिसूचना अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत